



कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

Phone: 0755-2540590, 4141042 Email: gmcparamedical@gmail.com, deangmc_bpl@yahoo.co.in Website-www.gmcbbhopal.net

क्रमांक 30620-27/एम.सी./पैरा0/2025

भोपाल, दिनांक: 7/08/2025

सह- चिकित्सीय पाठ्यक्रम (Paramedical Courses)

// प्रवेश विज्ञप्ति //

स्वचिकित्सीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2024-25 में, मध्यप्रदेश सह- चिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित हैं-

कोर्स कोड क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	योग्यता/अहर्ता	कोर्स की अवधि	कुल सीटों की संख्या
01	O.T. Technician	Surgery	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	01 वर्ष	40
02	X-Ray (Radiographer) Technician	Radiodiagnosis	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	01 वर्ष	30
03	Heath Inspector	PSM	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	01 वर्ष	10
04	Cath Lab Technician	Cardiology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	20
05	Medical Lab Technician	Pathology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	100
06	Paramedical Ophthalmic Assistant	Ophthalmology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	30
07	Diploma in P.F.T. Technician	Respiratory Medicine	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	05
08	X-Ray (Radiographer) Technician	Radiodiagnosis	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	50
09	Dialysis Technician	Medicine	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	40
10	Bachelor in Respiratory Therapy	Respiratory Medicine	Degree	12वीं (बायोलाजी)	03 वर्ष	10
11	P.G. Diploma in Perfusion Technology	Cardiothoracic Surgery	Diploma	बी.एस.सी. (Biology with Zoology)	02 वर्ष	25

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 18.08.2025

समय:- सांय 05:00 बजे तक

आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित पते- अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, रॉयल मार्केट, (सुल्तानिया रोड), कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र) पिन-462001 के कार्यालय में प्रेषित अथवा जमा करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल म0प्र0 की वेबसाइट www.gmcbbhopal.net पर उपलब्ध है तथा प्रवेश प्रक्रिया एवं Councelling से संबंधित समस्त सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

आवेदन शुल्क:- सभी संवर्ग/श्रेणी के लिये रुपये 600/- (छः सौ रुपये) प्रति आवेदन होगा।

समस्त उम्मीदवार ऑन-लाईन प्रक्रिया द्वारा ही निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें। ऑन-लाईन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है- आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में-IMPS/NEFT/UPI/ऑनलाइन माध्यम द्वारा Account Name: - CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name: - State Bank of India **Account No:- 10625211248 IFSC Code: SBIN0010140** में जमा कराना होगा।

नोट:- (क) कोर्स कोड क्र. 01 से 10 तक के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन करना होगा

(ख) कोर्स कोड क्र. 11 पी0जी0 डिप्लोमा परपयूजन टेक्नोलॉजी कोर्स के इच्छुक अभ्यर्थियों को पृथक से आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है।

(ग) आवेदन शुल्क भुगतान करने के उपरांत प्राप्त रसीद को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है। यदि रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। (डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे)

R. Vash
07/08/2025

Coordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

[Signature]
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

Page | 1



विस्तृत विवरण, परिनियम, उपबंध एवं निर्देश नियम एवं शर्त:-

1. आरक्षण :-

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार उपलब्ध स्थानों में से अधिकतम दस प्रतिशत स्थान विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित है। शेष उपलब्ध स्थानों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं वर्तमान में प्रभावशील आरक्षण नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

2. पाठ्यक्रम शुल्क विवरण- प्रवेश के समय कौशनमनी 5,000 रुपये/ जमा करना अनिवार्य है, जो कि कोर्स पूर्ण होने पर छात्र/छात्राओं को वापस लौटा दी जायेगी।

एक वर्षीय प्रमाण पत्र (Certificate)							
अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कौशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जनवरी	द्वितीय किश्त (जुलाई)
प्रथम वर्ष	39910	1000	1000	1000	5000	19955+5000+3000=27955	19955
दो वर्षीय डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा							
अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कौशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जनवरी	द्वितीय किश्त (जुलाई)
प्रथम वर्ष	55270	1000	1000	1000	5000	27635+5000+3000=35635	27635
द्वितीय वर्ष	55270	1000	1000	1000	निरंक	27635+3000=30635	27635
तीन वर्षीय डिग्री							
अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कौशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जनवरी	द्वितीय किश्त (जुलाई)
प्रथम वर्ष	85940	1000	1000	1000	5000	42970+5000+3000=48010	42970
द्वितीय वर्ष	85940	1000	1000	1000	निरंक	42970+3000=45970	42970
तृतीय वर्ष	85940	1000	1000	1000	निरंक	42970+3000=45970	42970

3. मूल निवासी पात्रता :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मूलनिवासी प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।

4. शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता योग्यता:-

(क) राज्य अथवा केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित/अधिमान्य शिक्षा मंडल द्वारा 10+2 उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में आयोजित जीव विज्ञान विषय समूह में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्राथमिकता देते हुये काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में प्रवेश दिया जावेगा।

(ख) काउंसलिंग के तृतीय चरण के पश्चात मॉप अप राउण्ड में कंडिका 5(क) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुये दूरस्थ शिक्षण-संस्थान एवं अन्य राज्यों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट रैंक के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

अर्हता न्यूनतम प्राप्तांक:-

अनारक्षित संवर्ग हेतु : 40% (चालीस प्रतिशत)

आरक्षित संवर्ग हेतु : 33% (तैंतीस प्रतिशत)

तथा पी0जी0 डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हेतु बी0एस0सी0 (Biology with Zoology)

5. आयु पात्रता :-

किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु इस विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

RK Verma
10/08/2025
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

[Signature]
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL
Page | 2



6. चयन प्रक्रिया:-

(क) जीव विज्ञान विषय समूह में उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा में (P.C.B) में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। यदि एक से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान हैं तो इस स्थिति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर भौतिक भास्त्र के अंको द्वारा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि इस आधार पर भी आवेदकों वरीयता पर निर्णय नहीं हो पाता है, तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श (COURSE COUNSELLING):-

प्रवेश प्रक्रिया एवं Counselling से संबंधित समस्त सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.gmcbhopal.net पर भी उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी है कि समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। अन्यथा संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर स्वयं निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच व निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

7. काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के उपरांत किसी भी अन्य पाठ्यक्रम की में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

8. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा। प्रवेश निरस्त होने या बीच में पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में पाठ्यक्रम की पूर्ण शुल्क जमा करने के पश्चात ही मूल-दस्तावेज वापिस किये जावेंगे।

9. प्रवेश के समय रु 5,000/- सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय(वापिस) की जायेगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। साथ ही छात्र/छात्रा को काउंसलिंग में भाग लेते समय एवं प्रत्येक वार्षिक सत्र शुरू होने के समय संबंधित पाठ्यक्रम की वार्षिक शुल्क का 50 प्रतिशत फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

10. छात्र/छात्रा को समय-समय पर विश्वविद्यालय/परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।

11. संलग्न हेतु आवश्यक अभिलेख सूची:- आवेदन प्रपत्र के उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्तारित छाया प्रतियाँ, अनुलग्न क्रमांकनुसार आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, विसंगति, पूर्ण, शुल्क विहीन तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन प्रपत्र पूर्णतः अमान्य होंगे।

13. प्रवेश वर्ष का शुल्क प्रवेश पत्र में दर्शाई गयी अंतिम तिथि तक निर्धारित माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

14. डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पूर्ण: शुल्क निर्धारित समय-सीमा में महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

15. आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में प्रतिदेय (वापिस योग्य) नहीं होगा।

16. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट आवंटन के समय जमा किये जाने वाले समस्त (original) मूल दस्तावेजों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, सम्बंधित विभाग में जमा रहेंगे।

समस्त जमा किए जाने वाले दस्तावेजों/अभिलेखों की अलग से 10-10 सेट छायाप्रतियाँ तथा कलर स्कैन pdf एवं jpg/jpeg फाइल, आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकार्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/ प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियाँ अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी

R. V. Singh
0710812625
Paramedical Co
Gandhi Medical College, Bhopal

[Signature]
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

द्वारा चाही तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/- रु की छायाप्रति का शुल्क कार्यालय में द्वाउचर के माध्यम से जमा करना होगा।

17. सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है, अतः सभी श्रेणी/संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क पूर्ण रूप से महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में प्रवेशित विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगा।

18. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के म.प्र. शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करते हुये निर्धारित समय-सीमा में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

19. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति की पात्रता धारित वाले छात्रों को पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। म.प्र. शासन द्वारा सह-चिकित्सा पाठ्यक्रम के शुल्क में यदि वृद्धि की जाती है एवं यदि संबंधित विभाग द्वारा शुल्क में की गई वृद्धि के अनुरूप शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो छात्र को स्वयं पूर्ण शुल्क वहन करते हुये निर्धारित समय-सीमा में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

इस संस्था में प्रवेश के समय स्कॉलरशिप के पात्र अभ्यर्थी को पिछले संस्था से मिल रहे स्कॉलरशिप को बंद कराना अनिवार्य है।

20. ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को जिन्हें शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हें संबंधित विभाग म.प्र. शासन के निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म, निर्धारित समयावधि प्रवेश से एक माह तक में आवेदन करना होगा एवं समय-समय पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना होगा। छात्रवृत्ति फार्म न भरे जाने के कारण संबंधित छात्र-छात्राओं पाठ्यक्रम शुल्क स्वयं वहन करते हुये निर्धारित समय-सीमा में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

21. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों हेतु 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। विभागीय सेवारत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में आवेदन किए जाने संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी परन्तु पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श के समय संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/ अनापत्ति पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य किया जाएगा तथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने एवं प्रवेश संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा।

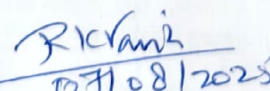
22. काउंसलिंग के समय जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल निवासी प्रमाण पत्र (डिजिटल) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

23. काउंसलिंग के समय एवं छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

24. आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक/पालक की समस्त स्त्रातों से प्राप्त आय संबंधी नवीनतम आय प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों के अभिभावक/पालक शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें उनके विभाग में संबंधित आयकर फार्म 16 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25. आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति की पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोड़ने पर या प्रशिक्षण अवधि जिसमें वह अनुपस्थित रहा, पाठ्यक्रम का शेष का पूरा शुल्क वसूला जाएगा।

26. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ -07-11 /2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18.07.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता होगी। संबंधित आवेदक को शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार नवीनतम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


07/08/2023
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal


DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

27. आरक्षित वर्ग के छात्र छात्रा जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है, को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में दुबारा प्रवेश प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। उन्हें समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

28. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विगत वर्षों में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की गई है, उन्हें इस सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगी ऐसे छात्र छात्राओं का समस्त अनिवार्य शुल्क स्वयं जमा करने होंगे।

29. गणवेश: पैरामेडीकल पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा निर्धारित स्काई ब्लू रंग की एप्रेन एवं नाम पट्टिका धारण करना आवश्यक होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

30. सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में छात्रावास उपलब्ध नहीं हैं।

31. सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है अतः अध्ययन एवं प्रशिक्षण अवधि में किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करके पूर्णकालीन अध्ययन करना तथा किसी अन्य संस्थान में पूर्णकालीन सेवायें प्रदान करना वर्जित है। इसके लिये प्रवेश के समय 100 रुपये के स्टॉप शुल्क पर नोटरी के साथ शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य है।

32. अनुशासन नियंत्रण:-सभी छात्र/छात्रा, संस्था प्रमुख के अनुशासिक नियंत्रण में रहेंगे तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, यदि किसी छात्र छात्रा का आचरण चिकित्सा महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो, उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेगी या कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा तथा पाठ्यक्रम की शेष राशी को भी जमा करना अनिवार्य होगा।

किसी भी छात्र/छात्राओं को अनुशासहीनता अथवा आचरणहीनता की श्रेणी पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

33. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

34. वचन पत्र, प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शपथ पत्र(नोटरी वाला) 100 रुपये(सौ रुपये) मूल्य के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

35. आवेदन पत्र में प्रयुक्त स्वयं के फोटो की प्रतियां का उपयोग ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, सह चिकित्सा परिषद आदि संबंधी प्रपत्रों में करना अनिवार्य है, अतः छात्र छात्राओं द्वारा ऐसे फोटो पर्याप्त संख्याओं में संरक्षित करना उचित होगा। अभ्यार्थी का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए। धुंधला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। दोनो कान दिखाई पडने वाला कलर, फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिए फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट (सफेद) होना चाहिए। आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फार्म में लगाया है वही फोटोग्राफ पुस्तकालय, छात्रवृत्ति, परीक्षा एवं अन्य जो भी भरवाये जायेंगे सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

38. किसी प्रकार के विधि प्रकरण का न्याय क्षेत्र भोपाल न्यायालीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

39. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां क्रमानुसार संलग्न करना अनिवार्य है तथा काउंसलिंग के समय आवश्यक समस्त संबंधित मूल दस्तावेज एवं उसकी 02 छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

1. ऑन लाईन जमा किये गये आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद।
2. 10 वीं परीक्षा की अंक सूची।
3. 12 वीं (10+2) हायर सेकेंडरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।
4. B.Sc.(Biology with Zoology) Marksheet (For Diploma in P.G. Perfusion Technology)
5. डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र।
6. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)

Ridhank
07/08/2025
Coordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College
Rohat

[Signature]
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
ROHAT

7. नवीनतम E.W.S. प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
8. नवीनतम आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)
9. आई0डी0 प्रूफ(आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
10. परिवार समग्र आई.डी.
11. पासपोर्ट साईज के 10 फोटो नाम एवं दिनांक लिखा स्वयं के जो 03 माह से अधिक पुराने न हों।
12. अनापत्ति प्रमाण-पत्र(N.O.C)केवल विभागीय कोटे के उम्मीदवारों के लिये (काउंसलिंग के समय अनिवार्य)
13. अनिरंतर अध्ययन (गैप संबंधित शपथ पत्र काउंसलिंग के समय यदि लागू हो)
14. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) (काउंसलिंग के समय अनिवार्य)
15. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (काउंसलिंग के समय)
16. विकलांगता प्रमाणपत्र—Unique Disability ID(UDID) (यदि लागू हो तो)
17. आवेदक के अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी है, तो विभाग से जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Ricvan
07/08/2025
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Ricvan
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

प्रतिलिपि - सूचनाएं

- 1- रेजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद, भोपाल, मध्य प्रदेश
- 2- संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सतपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश

Ricvan
07/08/2025
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Ricvan
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

आवेदन पत्र का प्रारूप
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
सह- चिकित्सीय पाठ्यक्रम (Paramedical Courses)
में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र 2024-25

कार्यालय प्रयोगार्थ		आवेदक का नवीनतम कलर पासपोर्ट फोटो
चयनित पाठ्यक्रम (चयन समिति द्वारा भरा जायेगा)	महाविद्यालय का कार्यालयीन आवक क्रमांक..... दिनांक.....	

- विज्ञापन क्रमांक :- दिनांक / 08 / 2025
- पैरामेडिकल पाठ्यक्रम/कोर्स कोड क्र0.....
- नोट- आवेदक अपना एवं पिता का नाम, जन्मतिथि 10 वीं की अंकसूची के अनुसार ही भरें।
1. ट्रांजेक्शन नं..... दिनांक..... राशि 600/- रुपये
 2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में).....
आवेदक का नाम(हिन्दी में).....
 3. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में).....
 4. माता का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में).....
 5. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची के अनुसार)- / /
 6. विज्ञापन की दिनांक को आवेदक की आयु- वर्ष..... माह..... दिन.....
 7. आवेदक का लिंग (पुरुष/महिला)..... 8. ईमेल आईडी.....
 9. वर्ग-अनारक्षित/EWS/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति -.....
 10. क्या आप म0प्र0 के मूल निवासी हैं-हाँ/नहीं..... 11. सेवारत अभ्यर्थी हैं-हाँ/नहीं.....
 12. विकलांगता- हाँ/नहीं..... (हाँ की स्थिति में विकलांगता प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
 13. वैवाहिक स्थिति-विवाहित/अविवाहित..... 14. अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर:-.....
 15. आधार कार्ड नंबर -..... 16. परिवार का समग्र आईडी0.....
 17. पिता/पति/पालक का मोबाइल नंबर.....
 - 16 वर्तमान निवास स्थान का पता.....
..... जिला..... राज्य..... पिन कोड.....
 17. स्थायी पता-.....
..... जिला..... राज्य..... पिन कोड.....
 18. शैक्षणिक योग्यताएँ/अहर्ता :- (प्रमाण- पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें-

क्र	अहर्ता	संस्था/बोर्ड/वि.वि का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12th			जीव विज्ञान (Biology)				
				भौतिक विज्ञान (Physics)				
				रसायन शास्त्र (Chemistry)				
2	BSc (केवल डिप्लोमा पी0जी0 परपयूजन टेक्नियन के उम्मीदवारों के लिये)							

Revant
 07/08/2025
 Coordinator
 Paramedical Courses
 Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN
 DEAN
 GANDHI MEDICAL COLLEGE
 BHOPAL

Check List

स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों को निम्नांकित क्रमानुसार ही संलग्न करें।

क्र०	दस्तावेज	संलग्न हैं/ नहीं	रिमार्क
01	ऑन लाईन जमा किये गये आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद		
02	10 वीं परीक्षा की अंक सूची। (जन्मतिथि के लिये)		
03	12 वीं (10+2) हायर सेकेंडरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।		
04	B.Sc.(Biology with Zoology) Marksheet (For Perfusionist)		
05	डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र		
06	डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)		
07	नवीनतम E.W.S.प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)		
08	नवीनतम आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)		
09	आईडी00 प्रूफ(आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)		
10	परिवार समग्र आई.डी.		
11	पासपोर्ट साइज के 10 फोटो नाम एवं दिनांक लिखा स्वयं के जो 03 माह से अधिक पुराने न हों		
12	अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) केवल विभागीय कोटे(In Service candidates) के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है। (काउंसलिंग के समय)		
13	अनिरंतर अध्ययन (गैप संबंधित शपथ पत्र काउंसलिंग के समय) यदि लागू हो		
14	स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) (काउंसलिंग के समय)		
15	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (काउंसलिंग के समय)		
16	विकलांगता प्रमाणपत्र-Unique Disability ID(UDID) (यदि लागू हो तो)		
17	आवेदक के अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी है, तो विभाग से जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।		

प्रवेश के समय समस्त छाया प्रतियां मूल अभिलेखों से सत्यापन के अनुसार ही मान्य होंगी।

// घोषणा-पत्र //

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और नाही ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....